# बेटा निकला पिता का कातिल, गिरफ्तार

फॉलोअप

इकौना, संवाददाता। दो दिन पूर्व इकौना इलाके में एक किसान की हत्या का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। 36 घंटे में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम चमारनपुरवा दीननामगढ़ निवासी किसान मिट्ठूलाल (60) पुत्र बैजनाथ की गुरुवार रात में खेत में फसल की रखवाली करते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। साथ ही पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने इकौना पुलिस को हत्या का खुलासा करने के लिए निर्देशित किया था। इकौना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी मामले की विवेचना कर रहे थे। विवेचना के दौरान रविवार को प्रभारी निरीक्षक को मुखबिर सूचना मिली कि मृतक का पुत्र बाहर भाग जाने के प्रयास में है।

इस सूचना से पुलिस के शक की सुई मृतक के बेटे पर जा टिकी। पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ के लिए मृतक के पुत्र रामू गौतम पुत्र मिट्ठूलाल को इकौना-बीरपुर मार्ग स्थित अकबरपुर बड़ी सरयू नहर के पास से पकड़ लिया और उसे थाने ले आई। पुलिस ने रामू से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या करने का जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल गड़ासा घर के पीछे नींव से बरामद किया। आरोपी ने बचने के गिरफ्तारी से बचने के लिए गड़ासे को घर की नींव में छिपा दिया था। उसको कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी टूट गया।

आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार हत्या का आरोपी रामू गौतम ने बताया कि उसके पिता आए दिन गाली गलौज व भला-बुरा कहते थे। पिता रोज-रोज अपने बेटे को गाली गलौज देता था। जिससे दुखी हो उसने यह कदम उठा लिया। जिससे आहत होकर उसने पिता की हत्या कर दी। साथ ही हत्या का आरोप नामजद ससुर व साले पर लगा दिया। क्योंकि कुछ दिनों पहले उसके पिता की उसके ससुरालवालों से झगड़ा हुआ था।

हिरासत में मौजूद हत्या का आरोपी

- गुरुवार की रात इकौना इलाके में हुई थी किसान की हत्या
- 36 घंटे में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

## समधी पर लगाया था हत्या का आरोप

मिट्ठूलाल की हत्या के बाद मृतक की पत्नी सीता रानी ने इकौना थाने में नामजद तहरीर देकर अपने पुत्र के ससुर व साले पर हत्या का आरोप लगाया था। सीतारानी ने तहरीर में बताया है कि उसके रिश्तेदार पुतीलाल पुत्र रामफेरन (समधी) व उसका पुत्र शिव कुमार पुत्र पुत्ती लाल निवासी ग्राम मध्य नगर मनोहरपुर से उसके पति का काफी दिन पहले विवाद हुआ था। जिसके बाद वह विवाद किया करता था। समधी का शक था कि मिट्ठूलाल अपनी जमीन बेचकर पैसा अपनी पुत्रियों को दे देगा। इसी को लेकर वह विवाद करता था और कई बार जान से मारने की धमकी दे चुका है। सीतारानी ने कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं दोनों ने उसके पति मिट्ठूलाल की हत्या की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था। साथ ही मामले की विवेचना कर रही थी।